भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2462
13 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

मेगा फूड पार्क योजना को पुन: शुरू करना

2462. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2021 से मेगा फूड पार्क योजना को बंद करने के निर्णय के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और किसानों विशेष रूप से भिवानी-महेंद्रगढ़ जैसे क्षेत्रों पर इस निर्माण के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना का समर्थन करने के लिए कोई नई योजना या नीति शुरू करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भविष्य में फूड पार्क या इसी तरह की परियोजनाएं स्थापित/कार्यान्वित करने हेतु किसी वैकल्पिक पहल का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि कोई नई योजना शुरू करने का विचार नहीं है तो क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मेगा फूड पार्क योजना के संशोधित संस्करण को शुरू करने पर पुनर्विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (च): देश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में मेगा फूड पार्क योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हब और स्पोक मॉडल पर आधारित क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाते हुए विश्व स्तरीय अवसंरचना और सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाओं की स्थापना करना था। मंत्रालय द्वारा योजना को कारगर बनाने के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देशों में उपयुक्त संशोधनों और हितधारकों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से किए गए प्रयासों के बावजूद, योजना के कार्यान्वयन की गति धीमी थी।

योजना का आकलन/प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन वर्ष 2012, 2014 और 2015 में नियमित रूप से तीसरे पक्ष के माध्यम से किया गया था और अंतिम मूल्यांकन वर्ष 2020-21 में किया गया था। प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में योजना की आलोचनात्मक समीक्षा करने और महत्वपूर्ण संशोधन के साथ इसे दुबारा शुरू करने या एक नई योजना (उद्योग और अन्य हितधारकों के परामर्श से) तैयार करने की सिफारिश की गई थी जो मौजूदा मेगा फूड पार्क परियोजनाओं की पूरक हो और देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने में तेजी लाए।

इस योजना के लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी, जो अक्सर पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बाधा बनती थी। कई राज्य सरकारों और 12वें वित्त आयोग के तहत गठित कार्य समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, पीएमकेएसवाई के तहत 10 एकड़ के अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्र में साझा अवसंरचना के विकास के लिए एक नई योजना " कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन" शुरू की गई। चूंकि एमएफपी योजना का उद्देश्य पहले ही एपीसी योजना के तहत बादल दिया गया था, इसलिए प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रावधान के साथ दिनांक 01.04.2021 से एमएफपी योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया।

भिवानी-महेन्द्रगढ़ क्षेत्र के लिए मेगा फूड पार्क योजना को बंद करने के कोई विशेष प्रभाव का आकलन नहीं किया गया।

*****